

न्यायालय उप जिला कलक्टर एवं उप जिला मजिस्ट्रेट गंगापुर सिटी
जिला सवाई माधोपुर

पीठासीन अधिकारी— श्री बृजेन्द्र मीना, आर०ए०एस०

मुकदमा नम्बर

तारीख रजू

तारीख निर्णय

02/2025

29.07.2025

02/11/2026

द्रोपती पुत्री भजन पत्नी घनश्याम, मीना निवासी अमरगढ तह० तलावडा हॉल
निवासी कडी पट्टी तह० तलावडा

—प्रार्थिया

बनाम

लैण्ड होल्डर जरिए तहसीलदार तहसील तलावडा

—अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल०आर०एक्ट

उपस्थित :- श्री मोहम्मद इस्लाम खान, एडवोकेट, प्रार्थिया की ओर से
निर्णय

प्रार्थिया ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 लैण्ड रेवेन्यू एक्ट इस आशय का प्रस्तुत किया है कि प्रार्थिया की सहखातेदारी की भूमि ख०न० 1232/7 रकबा 0.31 है०, ख०न० 1237/11 रकबा 0.09 है०, ख०न० 1239/12 रकबा 0.02 है०, ख०न० 13 रकबा 0.15 है०, ख०न० 14 रकबा 0.21 है० ग्राम अमरगढ मे स्थित है। प्रार्थिया का वास्तविक नाम द्रोपती है लेकिन राजस्व रिकॉर्ड मे प्रार्थिया का उपनाम बच्ची दर्ज कर दिया है जो गलत है उक्त गलती विरासत दर्ज करते समय की थी। अतः प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि राजस्व रिकार्ड मे बच्ची के बजाय प्रार्थिया का नाम द्रोपती शुद्ध करने का आदेश फरमावे।

प्रार्थना पत्र के समर्थन में प्रार्थिया ने नकल जमाबंदी संवत 2070-73 खाता संख्या 63 ग्राम अमरगढ, फोटोकॉपी आधारकार्ड द्रोपती प्रस्तुत किये है।


प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को तलब किया गया एवं तहसीलदार तलावडा से रिपोर्ट चाही गई।

अप्रार्थी तहसीलदार तलावडा की ओर से उनके पत्र क्रमांक भूअ/25/2025/2034 दिनांक 27.11.2025 के साथ रिपोर्ट प्राप्त हुई है। इसके साथ पटवारी हल्का अमरगढ की मूल रिपोर्ट भी संलग्न की गई है।

बहस विद्वान अभिभाषक प्रार्थिया सुनी गई।

प्रार्थिया के विद्वान अभिभाषक ने अपनी बहस में प्रार्थिया का नाम राजस्व रिकॉर्ड मे बच्ची के स्थान पर द्रोपती दर्ज करने का निवेदन किया है।

बहस पर मनन किया। पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेखों का अवलोकन किया। लैण्ड होल्डर तहसीलदार तलावडा की रिपोर्ट के अनुसार मजमे आम ग्राम अमरगढ मे जाँच करने पर द्रोपती पुत्र भजन पत्नी घनश्याम, मीना निवासी अमरगढ के नाम की कोई महिला नहीं पायी गई। इस कारण प्रथम दृष्टया प्रार्थना पत्र मे अंकित तथ्य स्पष्ट एवं सही नहीं है, आवेदन खारिज किया जाना उचित है। तहसीलदार तलावडा द्वारा द्रोपती पुत्र भजन पत्नी घनश्याम, मीना निवासी अमरगढ के नाम की कोई महिला नहीं मिलने तथा


उपखण्ड अधिकारी
गंगापुर सिटी (राज०)

(2)

प्रार्थना पत्र खारिज करने की रिपोर्ट प्रस्तुत की है। अतः तहसीलदार तलावडा की रिपोर्ट के अनुसार उक्त प्रार्थना पत्र खारिज किया जाना उचित है।

आदेश

अतः उपरोक्त विवेचन के अनुसार प्रार्थिया द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल0आर0एक्ट अस्वीकार किया जाकर खारिज किया जाता है।

पत्रावली फ़ैसलशुमार होकर नम्बर से कम हो एवं बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 2/11/24 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(बृजन्द्र मीना)

उप जिला क्लक्टर
उपखण्ड अधिकारी
गंगापुर सिटी
गंगापुर सिटी (राज०)